

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला

भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष:- सतीश कुमार गुप्ता)

आप0 अपील कमांक 263/15

प्रस्तुति दिनांक 06/07/2015

1. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह कुशवाह आयु 35 वर्ष
2. विमला उर्फ कमला पत्नी प्रीतम सिंह कुशवाह आयु 55 वर्ष
3. प्रीतम सिंह पुत्र रामलाल कुशवाह आयु 58 वर्ष
4. राकेश पुत्र प्रीतम सिंह कुशवाह आयु 38 वर्ष, उक्त चारों निवासीगण चंद्रनगर कोटेश्वर रोड़ ग्वालियर (म.प्र.)
5. रति बाई पत्नी रामदास कुशवाह आयु 48 वर्ष, निवासी गोसपुरा वार्ड कमांक 2 खारे कुआ का वाड़ा ग्वालियर (म.प्र.)

---अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण

॥ वि रू द्ध ॥

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

-----प्रत्यर्थी/अभियोजन

| |
|---|
| अपीलार्थीगण द्वारा — श्री आर0पी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता प्रत्यर्थी राज्य द्वारा — श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक |
|---|

आप0 अपील कमांक 197/16

प्रस्तुति दिनांक 06/07/2015

श्रीमती पायल पत्नी धर्मेन्द्र आयु 27 वर्ष,
निवासी गोहदी गेट वार्ड नंबर 13 गोहद
जिला भिण्ड (म.प्र.)

-----अपीलार्थी / फरियादी

॥ वि रू द्ध ॥

1. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह कुशवाह आयु 29 वर्ष
2. विमला उर्फ कमला पत्नी प्रीतम सिंह कुशवाह आयु 50 वर्ष
3. प्रीतम सिंह पुत्र रामलाल कुशवाह आयु 52 वर्ष
4. रति बाई पत्नी रामदास कुशवाह आयु 42 वर्ष
5. राकेश पुत्र प्रीतम सिंह कुशवाह आयु 24 वर्ष, उक्त सभी निवासीगण चंद्रनगर कोटेश्वर रोड़ ग्वालियर (म.प्र.)

-----प्रत्यर्थीगण / अभियुक्तगण

| |
|---|
| अपीलार्थी द्वारा — श्री यजर्वेद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता सभी प्रत्यर्थीगण द्वारा—श्री आर0पी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता |
|---|

॥ निर्णय ॥

(आज दिनांक 21/02/2018 को घोषित)

01. अपील प्रकरण क्रमांक 263/15 के अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से दं.प्र.सं. की धारा 374 के अंतर्गत प्रस्तुत उक्त दांडिक अपील, सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड द्वारा आपराधिक प्रकरण क्र0 288/2009 (म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद विरुद्ध धर्मेन्द्र सिंह आदि) में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 18.06.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने सभी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को भा0दं0सं0 की धारा 498-ए के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है और अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर उन्हें 2-2 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश दिया

गया है तथा अपील प्रकरण क्रमांक 197/16 की अपीलार्थी/फरियादी श्रीमती पायल की ओर से दं0प्र0सं0 की धारा 372 के अंतर्गत सभी प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तगण की कारावास की सजा बढ़ाये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की गई है।

02. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अपील प्रकरण क0 263/15 (धर्मेन्द्र सिंह आदि विरुद्ध राज्य) एवं अपील प्रकरण क0 197/16 (श्रीमती पायल विरुद्ध धर्मेन्द्र सिंह आदि) अर्थात् दोनों अपीलें एक ही निर्णय से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई हैं, इसलिये उक्त दोनों अपीलों का निराकरण एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है तथा मूल निर्णय अपील प्रकरण क0 263/15 में संलग्न किया जा रहा है एवं अपील क0 197/16 में उसकी सत्यप्रतिलिपि संलग्न की जा रही है और प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों अपील प्रकरणों की आदेश पत्रिका दिनांक 06.02.2018 के अनुसार उभयपक्ष की ओर से स्वेच्छापूर्वक तथा बिना किसी दबाव के प्रस्तुत आपसी राजीनामा बावत् आवेदन पत्र धारा 320 (5), अपराध राजीनामा योग्य नहीं होने के कारण निरस्त हुये हैं।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.04.2007 को फरियादिया पायल का विवाह अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह के साथ हिंदू रीति रिवाज अनुसार वार्ड क्रमांक 13 गोहद में संपन्न हुआ था। फरियादिया पायल अपनी नाना-नानी के यहां रहती थी इस कारण से उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज देकर उसका विवाह किया था। विवाह के बाद से ही पायल का पति अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह, ससुर प्रीतम सिंह, सास विमला उर्फ कमला, देवर राकेश, फफुआ सास रविबाई अक्सर दहेज में 50 हजार रुपये व कार की मांग करते हुये उसकी मारपीट करते थे और उक्त मांग को लेकर अभियुक्तगण उसे नाना-नानी के पास गोहद छोड़ गये थे। इस कारण उसने घटना के संबंध में लिखित आवेदन पुलिस अधीक्षक भिण्ड को दिया था, जिसके कारण अभियुक्तगण नाराज हो गये और दिनांक 10.03.09 की सुबह सभी लोग मार्शल गाड़ी लेकर उसके नाना के घर आये और उससे दहेज की मांग की थी तथा आवेदन वापस लेने के लिये उसकी मारपीट की थी। चिल्लाहट की आवाज सुनकर उसके मामा, नाना एवं पड़ौसी संजीव व कालीचरन ने आकर बीच

बचाव किया था एवं जाते समय अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने एवं धर्मेन्द्र का दूसरा विवाह करने की धमकी दी थी। उक्त घटना के पश्चात् फरियादिया द्वारा पुलिस थाना गोहद में लिखित आवेदन पत्र प्र0पी0-1 पेश करने पर सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498-ए, 506 व 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 52/09 पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधानी कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

04. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498-ए भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध घटित किया जाना अस्वीकार किये जाने व विचारण की मांग किये जाने से अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के समर्थन में साक्षी पायल अ0सा0-1, संजीव कुशवाह अ0सा0-2, राय सिंह कुशवाह अ0सा0-3, कालीचरन अ0सा0-4, राजयोगेंद्र कुशवाह अ0सा0-5, गोविंद सिंह सगौरिया अ0सा0-6, मालती अ0सा0-7, सुमन अ0सा0-8, अमरनाथ वर्मा अ0सा0-9 तथा हरीप्रकाश दुबे अ0सा0-10 को परीक्षित कराया गया है। तत्पश्चात् दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण के दौरान अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होते हुए झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुए बचाव साक्षी के रूप में अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह ब0सा01 का परीक्षण कराया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुण-दोष पर अभियुक्तगण को उक्तानुसार दोषसिद्ध पाते हुए दंडित किया गया, जिससे व्यथित होकर अभियुक्तगण द्वारा दांडिक अपील क्रमांक 263/15 प्रस्तुत की गई हैं एवं फरियादी श्रीमती पायल द्वारा दांडिल अपील क्रमांक 197/16 प्रस्तुत की गई है।

05. अपील प्रकरण क्रमांक 263/15 के अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं दंडादेश को विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने, विश्वसनीय दस्तावेजी व मौखिक अभियोजन साक्ष्य का अभाव होते हुये भी दोषसिद्ध पाकर दंडित करने में त्रुटि किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं दंडादेश को अपास्त कर सभी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई है तथा अपील प्रकरण क्रमांक 197/16

की अपीलार्थी/फरियादी श्रीमती पायल की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दी गई कारावास की सजा को कम होना बताते हुये उसे बढ़ाये जाने की प्रार्थना की गई है।

06. प्रत्यर्थी राज्य की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश को साक्ष्य एवं विधि के अनुरूप होना दर्शाते हुए उक्त दोनों अपीलों को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

07. अपील प्रकरण क्रमांक 263/15 के अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आर0पी0एस0 गुर्जर तथा अपील प्रकरण क्रमांक 197/16 के अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव तथा प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर को सुना गया। उभयपक्ष के मध्य न्यायालय से बाहर स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा हो जाने से तथा कोई विवाद शेष नहीं रहने से श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा फरियादी/पीडित की ओर से अपील प्रकरण क्रमांक 197/16 को आगे नहीं चलाना व्यक्त किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्र0 288/09 (म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद विरुद्ध धर्मेन्द्र सिंह आदि) का अवलोकन किया गया।

08. उक्त दोनों अपीलों के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं:-

1. क्या अधीनस्थ न्यायालय ने दांडिक प्रकरण क्र0 288/09 में सभी अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि व दण्डादेश का जो निष्कर्ष निकाला है, वह त्रुटिपूर्ण है ?
2. क्या प्रस्तुत अपीलों स्वीकार किये जाने योग्य हैं ?

// सकारण निष्कर्ष //

09. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अपील मेमो में एवं तर्कों में इन आधारों पर अत्यधिक बल दिया गया है कि अधीनस्थ

न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत अविश्वसनीय साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुये एवं बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को अविश्वसनीय मानते हुये अभियुक्तगण को दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण भूल कारित की है और ऐसी दोषसिद्धी विधि एवं तथ्य के विपरीत होकर विधि के मान्य सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, जबकि प्रत्यर्थी राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं अपीलार्थी/फरियादी के विद्वान अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धी को अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य सहित विधि के मान्य सिद्धांतों के अनुरूप होना बताया है।

10. उक्त संबंध में अभिलेख का परिशीलन करने पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने गुण-दोष पर मामले का निराकरण करते हुये अभिलेख पर प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य को संदेह से परे विश्वासप्रद होना एवं बचाव साक्ष्य को विश्वासप्रद नहीं होना पाते हुये सभी अभियुक्तगण की धारा 498-ए भा0दं0सं0 के अंतर्गत दोषसिद्धी की गई है।

11. उक्त संबंध में अभिलेखगत साक्ष्य सहित प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहनता से परिशीलन करने पर पाया जाता है कि फरियादी/पीड़ित श्रीमती पायल अ0सा0-1 ने अपने न्यायालयीन कथनों में सभी अभियुक्तगण को जानते हुये अभियोजन मामले के अनुरूप स्पष्ट रूप से तथा दृढ़तापूर्वक प्रकट किया है कि अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह के साथ उसकी शादी 19 अप्रैल 2007 को संपन्न होने के पश्चात वह अपने ससुराल गई थी तो शादी के दूसरे ही दिन से ही उसके ससुर प्रीतम सिंह, सास कमला उर्फ विमला, देवर राकेश, ननद किरण, बुआ सास रतिबाई शादी में कम दहेज का ताना देते हुये उससे 50 हजार रुपये व कार की मांग करते हुये सभी अभियुक्तगण उसे परेशान करने लगे थे।

12. फरियादी/पीड़ित श्रीमती पायल अ0सा0-1 का अपने कथनों में आगे कहना है कि उसने 8 दिन पश्चात ससुराल से गोहद वापस लौटने पर उक्त घटना के संबंध में अपने नाना-नानी एवं मामा-मामी सहित संजीव एवं कालीचरन को बताया था कि सभी अभियुक्तगण उससे दहेज के रूप में 50 हजार रुपये एवं कार की मांग करते हैं व उसे परेशान करते हैं, जिससे

ससुराल वालों को समझाया गया था, लेकिन वह लोग नहीं माने थे एवं अभियुक्तगण उसके पति से उसकी पिटाई लगवाते थे और धमकियां देते थे कि मांग पूर्ति के अभाव में उसे जान से मार देंगे एवं धर्मेन्द्र सिंह की दूसरी जगह शादी कर देंगे एवं दिनांक 14.02.08 को सारा सामान छीनकर केवल पहने हुये कपड़ों में उसे उसका पति धर्मेन्द्र सिंह उसके नाना के घर छोड़ गया था।

13. फरियादी/पीड़ित श्रीमती पायल अ0सा0-1 का अपने न्यायालयीन कथनों में आगे कहना है कि उसने उक्त घटना के संबंध में दिनांक 14.02.09 को एस0पी0 भिण्ड को एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था तो उसके ससुराल वाले काफी नाराज हो गये थे और होली के समय दिनांक 10.03.09 को सुबह उसके पति धर्मेन्द्र सिंह, ससुर प्रीतम सिंह, सास कमला, देवर राकेश एवं बुआ सास रतिबाई ने उसे आकर धमकी दी थी कि अपनी रिपोर्ट वापस ले लो एवं दहेज के रूप में 50 हजार रुपये नगदी सहित कार देने की मांग की थी और मांग पूर्ति के अभाव में उसे छोड़ देने व जान से मार देने की धमकी दी थी। उक्त घटना के संबंध में उसने पुलिस थाना गोहद को प्र0पी0-1 का लिखित आवेदन पत्र पेश किया था, जिस पर से पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-2 लेखबद्ध की थी।

14. लिखित रिपोर्ट प्र0पी0-1 सहित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-2 के अवलोकन से भी फरियादी/पीड़ित श्रीमती पायल अ0सा0-1 के उक्त कथनों की भली भांति पुष्टि होना पाई जाती है और उनके मध्य कोई महत्वपूर्ण एवं सारवान विसंगति होना नहीं पाई जाती है। मामले में रिपोर्ट लेखक एस0डी0ओ0पी0 अमरनाथ वर्मा अ0सा0-9 ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में जिरह में स्थिर रहते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-2 को प्रमाणित किया है। इसी प्रकार मामले में विवेचक होकर अन्य तटस्थ साक्षी प्रधान आरक्षक हरीप्रकाश दुबे अ0सा0-10 ने भी थाना गोहद में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुये अपराध क्रमांक 52/09 धारा 498-ए, 506, 34 भा0दं0सं0 की विवेचना के अनुक्रम में फरियादी श्रीमती पायल सहित साक्षीगण संजीव, कालीचरन, राम सिंह, राजयोगेंद्र सिंह व मालती देवी के कथन लेखबद्ध किया जाना एवं सभी अभियुक्तगण को गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-3 लगायत प्र0पी0-7 के गिरफ्तार किया जाना बताते हुये विवेचना के दौरान की गई कार्यवाही को

भली भांति प्रमाणित किया है तथा उक्त साक्षी भी जिरह में अपने कथनों पर भली भांति स्थिर रहा है। अतः रिपोर्ट लेखन एवं विवेचन की सीमा तक यथास्थिति साक्षीगण एसडीओपी अमरनाथ वर्मा अ0सा0-9 एवं प्रधान आरक्षक हरीप्रकाश दुबे अ0सा0-10 के कथनों से फरियादी/पीड़ित श्रीमती पायल अ0सा0-1 सहित अभियोजन के इस मामले की पुष्टि होना पाई जाती है।

15. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण संजीव अ0सा0-2, राम सिंह अ0सा0-3, कालीचरन अ0सा0-4, राजयोगेंद्र अ0सा0-5, गोविंद सिंह अ0सा0-6, मालती अ0सा0-7 एवं सुमन अ0सा0-8 ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में फरियादी/पीड़ित श्रीमती पायल के कथन अनुसार शादी के पश्चात प्रश्नगत समय के दौरान सभी अभियुक्तगण द्वारा फरियादी/पीड़ित पायल से दहेज के रूप में 50 हजार रुपये नगदी सहित कार की मांग को लेकर उसे निरंतर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाना बताया है। इस प्रकार उक्त सभी साक्षीगण के कथनों से भी फरियादी/पीड़ित श्रीमती पायल अ0सा0-1 के उक्त कथनों की भली भांति पुष्टि होना पाई जाती है।

16. बचाव पक्ष द्वारा अति विस्तार से किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी/पीड़ित श्रीमती पायल अ0सा0-1 सहित अन्य सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण संजीव अ0सा0-2, राम सिंह अ0सा0-3, कालीचरन अ0सा0-4, राजयोगेंद्र अ0सा0-5, गोविंद सिंह अ0सा0-6, मालती अ0सा0-7 एवं सुमन अ0सा0-8 मुख्य परीक्षण में प्रकट उक्त कथनों पर न केवल भली भांति स्थिर रहे हैं, बल्कि प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त कथनों को दोहराते हुये उन्हें अधिक स्पष्ट किया है तथा इस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा रखे गये समस्त सुझावों को दृढ़तापूर्वक गलत होना बताया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा फरियादी/पीड़ित श्रीमती पायल अ0सा0-1 से न तो दहेज की मांग की गई है और न ही मांग पूर्ति के अभाव में उसे प्रताड़ित किया गया है तथा मामले में अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है एवं फरियादी अभियुक्तगण के विरुद्ध झूठे कथन कर रही है एवं उक्त साक्षीगण के कथनों में कोई महत्वपूर्ण एवं सारवान विरोधाभाष होना अभिलेख से दर्शित नहीं होता है और वैसे भी सभी अभियुक्तगण फरियादी के ससुरालजन होकर करीबी नातेदार हैं। ऐसी स्थिति में फरियादी, जो कि एक

भारतीय नारी है, से यह अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है कि वह अपने पति सहित अन्य ससुरालजन के विरुद्ध बिना वजह कथन करेगी।

17. यद्यपि प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण के कथनों में कुछ एक छोटे-मोटे विरोधाभाष, विलोपन एवं विसंगतियां अभिलेख पर अवश्य प्रकट हुई हैं, जैसे कि फरियादी ने अपने स्कूल का नाम बता पाने में असमर्थता प्रकट की है तथा प्र0पी0-1 की लिखित रिपोर्ट किसके कहने पर दी थी एवं वह किस सन् में ग्वालियर अथवा गोहद रही है, लेकिन प्रथमतः वे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नहीं होकर इस स्वरूप के नहीं हैं, जो कि मामले की जड़ को आघात करते हों, बल्कि अभिलेख से यह प्रकट है कि बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन पक्ष के उक्त सभी साक्षीगण से अति विस्तार पूर्वक जिरह की गई है एवं साक्षीगण के कथन प्रश्नगत घटना से कई वर्ष अर्थात् दीर्घकाल का समय गुजर जाने के पश्चात भिन्न समय अंतरालों पर अंकित हुये हैं। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की संप्रेक्षण, याददाश्त एवं प्रकटीकरण की क्षमता भिन्न-भिन्न होती है। अतएव अभिलेख पर प्रकट विरोधाभाष, विलोपन एवं विसंगतियां स्वाभाविक स्वरूप की होना एवं तात्त्विक स्वरूप की नहीं होना पाई जाती हैं, जिनके संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में विस्तृत विवेचन करते हुये विधि के मान्य सिद्धांतों के अनुरूप उचित निष्कर्ष दिये गये हैं। अतः उनका कोई लाभ बचाव पक्ष को नहीं दिया जा सकता है।

18. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का अपने तर्कों में कहना है कि फरियादी/पीड़ित श्रीमती पायल ने अपने कथनों में शादी के पश्चात से ही दहेज की मांग को लेकर अभियुक्तगण द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाना बताया है, जबकि उसके द्वारा उसके संबंध में रिपोर्ट बिना किसी योग्य कारण से विलंब से अर्थात् दिनांक 10.03.09 को किये जाने से अभियोजन का यह मामला संदिग्ध हो जाता है, लेकिन अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में गहनता से विचार करते हुये इस आशय के उचित निष्कर्ष दिये हैं कि भारतीय समाज में पीड़ित महिला एवं उसके परिवारजन जहां तक हो सके ससुरालजन से जुड़े घरेलू मामले को अंतिम छोर तक घर में ही सुलझाने की कोशिश करते हैं और जब किसी तरह से मामला नहीं सुलझता है तब रिपोर्ट की जाती है। अभियोजन के अनुसार भी हस्तगत

मामला इसी प्रकार का है एवं फरियादी/पीड़ित श्रीमती पायल अ0सा0-1 द्वारा अंतिम घटना दिनांक 10.03.16 को ही प्र0पी0-1 की लिखित रिपोर्ट पेश की गई है। अतएव प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुये विलंब को घातक स्वरूप का होना नहीं माना जा सकता है।

19. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का अपने तर्कों में यह भी कहना रहा है कि बुआ सास रतिबाई अपने पति रामदास के साथ अलग रहती हैं, जिसके संबंध में प्र0डी-30 का राशन कार्ड पेश किया गया है और ससुर प्रीतम सिंह व सास विमला उर्फ कमला गुना में रहते हैं, जिसके संबंध में प्र0डी0-30 का प्रमाण पत्र पेश किया गया है। इस कारण से अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है, लेकिन प्र0डी0-20 के प्रमाण पत्र को विधिवत प्रमाणित नहीं कराया गया है एवं मामले में बचाव पक्ष का ऐसा भी कहना नहीं रहा है कि कोई विवाद आदि के कारण ससुर प्रीतम सिंह, सास विमला उर्फ कमला एवं बुआ सास रतिबाई का फरियादी श्रीमती पायल की ससुराल में प्रश्नगत समय के दौरान आना-जाना नहीं रहा था, बल्कि माता-पिता एवं बुआ होने के कारण एवं बुआ को ससुराल ग्वालियर में ही 5-6 किलोमीटर की दूरी पर निवासरत होने के कारण उक्त समय के दौरान आना-जाना रहा होना स्वाभाविक है तथा फरियादी/पीड़ित श्रीमती पायल अ0सा0-1 द्वारा अपने कथनों में स्पष्ट रूप से उक्त तीनों अभियुक्तगण सहित सभी अभियुक्तगण द्वारा प्रश्नगत समय के दौरान दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाना बताया है एवं धारा 498-ए संबंधी अपराध चालू रहने वाला होता है। अतः बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क को मान्य नहीं किये जाने के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष उचित होना पाया जाता है।

20. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का अपने तर्कों में कहना है कि विचारण न्यायालय ने प्र0डी-21 व प्र0डी-22 के महत्वपूर्ण पत्रों को विश्वसनीय नहीं मानकर भूल की है, जबकि उनमें स्वयं फरियादी श्रीमती पायल अ0सा0-1 द्वारा यह लेख किया गया है कि अभियुक्तगण उसे परेशान नहीं करते थे, लेकिन उक्त दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संबंध में फरियादी श्रीमती पायल अ0सा0-1 ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से

प्रकट किया है कि उक्त पत्र दबाव में आकर लिखे गये थे और उसके ससुर के बोलने पर लिखे गये थे। उक्त दोनों पत्रों के अवलोकन से भी पाया जाता है कि उनमें यह अंकित नहीं है कि फरियादी पायल ने उन्हें किसको लिखे थे एवं क्यों लिखे थे तथा उक्त दोनों पत्र की भाषा शैली से भी फरियादी पायल अ0सा0-1 के यह कथन सही प्रतीत होते हैं कि प्र0डी0-21 व प्र0डी0-22 के पत्र ससुर के दबाव में लिखे थे। साथ ही विवाह विच्छेद संबंधी डिक्री प्र0डी0-29 के अवलोकन से पाया जाता है कि वह एकपक्षीय रूप से पारित हुई है। अतः हस्तगत मामले में उक्त तीनों दस्तावेजों का बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं दिये जाने संबंधी विचारण न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है वह उचित एवं विधि सम्मत है।

21. उपरोक्त के विपरीत बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये स्वयं अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह ब0सा0-1 का अपने कथनों में कहना है कि फरियादी पायल शादी के 2-3 महीने बाद से बार-बार मायके, जो कि ग्वालियर में है, में रहने की जिद करने लगी थी, फिर उक्त साक्षी का आगे कहना है कि वह अपने मामा एवं नाना, जो कि गोहद में रहते हैं, के यहाँ जाने की हमेशा जिद करती थी और घर में बात-बात पर लड़ाई-झगड़ा करती थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहां एक ओर स्वयं धर्मेन्द्र सिंह ब0सा0-1 अपने उक्त कथनों पर दृढ़तापूर्वक स्थिर नहीं है, बल्कि गोहद अथवा ग्वालियर जाने के संबंध में परस्पर विरोधाभासी कथन किये हैं, वहीं दूसरी ओर फरियादी पायल अ0सा0-1 ने सभी अभियुक्तगण द्वारा शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसे निरंतर प्रताड़ित किया जाना बताया है। ऐसी स्थिति में पायल द्वारा मायके जाने के लिये कहने वाली बात को अस्वाभाविक होना भी नहीं माना जा सकता है।

22. बचाव साक्षी धर्मेन्द्र सिंह ब0सा0-1 का अपने कथनों में कहना है कि फरियादी पायल दो तीन दिन तक खाना नहीं खाती थी, हाथ पैरों में ब्लैड मार लेती थी, एक्सपायरी दवाईयां खा जाती थी एवं उसने एक बार फांसी लगाने की कोशिश की थी जिसके संबंध में उसके घरवालों को शिकायत किये जाने पर वे पायल को और बढ़ावा देते थे तथा पायल के तांत्रिक मामा ने दो बार पायल का गर्भपात भी करा दिया है, लेकिन उक्त संबंध में जहां एक ओर

बचाव पक्ष द्वारा कोई विश्वसनीय प्रमाण अभिलेख पर पेश नहीं किए गये हैं, वहीं दूसरी ओर धर्मेन्द्र ब0सा0 01 के उक्त कथन स्वाभाविक स्वरूप के होना नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी माता पिता या अन्य करीबी नातेदार अपनी पुत्री को हाथ पैर में ब्लेड मारने, एक्सपायरी दवा खाने एवं फांसी लगाने तथा गर्भपात कराने के संबंध में बढ़ावा कभी नहीं देंगे। अतः उक्त संबंध में धर्मेन्द्र सिंह ब0सा0-1 के उक्त कथन विश्वासप्रद नहीं पाये जाने के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष उचित एवं विधिसम्मत हैं।

23. अपीलार्थीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का अपने तर्कों में कहना है कि फरियादी पायल द्वारा गोहद की घटना गलत रूप से बताये जाने से गोहद जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय को मामले के विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं है, लेकिन फरियादी/पीड़ित अ0सा0 01 ने अभियोजन के मामले के अनुसार अपने विश्वासप्रद स्वरूप के कथनों में स्पष्ट रूप से बताया है कि दहेज पूर्ति के अभाव में अभियुक्त धर्मेन्द्र उसे नाना-नानी के यहां गोहद में मात्र पहने हुए कपड़ों में छोड़ गया था एवं अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 10.03.09 को गोहद में आकर भी उससे दहेज की मांग करना व धमकी आदि दिया जाना बताया है तथा धारा 498ए भा0द0स0 का अपराध एक चालू रहने वाला अपराध होने के कारण उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है और ऐसे अपराध का विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। उक्त संबंध में धारा 177 दं0प्र0सं0 सहित सम्माननीय न्यायदृष्टांत सुनीता कुमारी कश्यप विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार 2011 एस.सी. 392 अवलोकनीय होकर मामले की परिस्थितियों में अनुपालनीय है। तदनुसार उक्त तर्क तात्विक नहीं पाए जाने से अमान्य किये जाते हैं और अभियुक्त पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सम्माननीय न्यायदृष्टांत निरशा शर्मा विरुद्ध म0प्र0 राज्य 2015 (1)म0प्र0वी0नो0 65 की तथ्यात्मक परिस्थितियां भिन्न होने से वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होने बावत् दिया गया निष्कर्ष उचित होने से पुष्टि की जाती है।

24. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से सम्माननीय न्यायदृष्टांत कन्छेदी व अन्य विरुद्ध म0प्र0 राज्य 2006 सीआर0एल0आर0 (एम.पी.) 696, जिसमें धारित किया गया है कि कूरता या प्रताड़ना की किसी घटना के

बारे में विशिष्ट साक्ष्य की अनुपलब्धता—यह प्रतीत होता है कि मृतका के भाई तथा अन्य रिश्तेदारों ने मृतका की मृत्यु के बाद अपीलार्थियों को दोषारोपित करने के लिये कुछ कहानी रची है—चिकित्सक का कहना है कि मृतका अपने पेट की गंभीर बीमारी से गृसित थी जिसके लिये उसका इलाज चला—प्रतिरक्षा साक्षी का कहना है कि पेट में दर्द के कारण वह मरना चाहती थी तथा पहले तालाब में कूदकर इसकी कोशिश भी की थी, लेकिन उसे बचा लिया गया—निर्णीत, अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है, सम्मानीय न्यायदृष्टांत **सरला वासुदेव विरुद्ध म0प्र0 राज्य 2013 सीआर0एल0आर0 (एम.पी.) 424**, जिसमें धारित किया गया है कि दहेज की मांग—गवाहों के स्पष्ट बयान—दहेज की मांग करने की अथवा कूरता की विशिष्ट तारीख नहीं बताई—अपीलांत अपने पति के साथ शहडोल रह रही थी तथा मृतका उसके पति के साथ कटनी रह रही थी—मृत्यु अक्समात थी—मृतका के नाम राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र कय किये गये—निर्णीत, अभियोजन अपराध साबित करने में असफल रहा है, सम्मानीय न्यायदृष्टांत **श्रीमती राधा व अन्य विरुद्ध म0प्र0 राज्य व अन्य 2017 (1) सीआर0एल0आर0 (एम.पी.) 233**, जिसमें धारित किया गया है कि दं0प्र0सं0 1973 धारा 482, भा0दं0सं0 धारा 498—ए व 506 भाग—2—प्रसंज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने हेतु याचिका—पुलिस ने पति व ससुर के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया—धारा 210 दं0प्र0सं0 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं, **दूधनाथ पाण्डे विरुद्ध उ0प्र0 राज्य 1981 सीआर0एल0जे0 618**, जिसमें धारित किया गया है कि मामले में प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य एवं बचाव साक्ष्य को समान भाव से देखा जाना चाहिये, प्रस्तुत किये हैं, लेकिन उपर के पैराओं में किये गये विवेचन अनुसार हस्तगत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियाँ भिन्न होने के कारण प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों का कोई लाभ अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को नहीं दिया जा सकता है।

25. परिणामतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर प्रकरण में प्रस्तुत बचाव साक्ष्य विश्वासप्रद स्वरूप की नहीं होने से एवं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य युक्ति युक्त संदेह से परे भली भांति विश्वास योग्य पाये जाने से अभियोजन पक्ष सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498—ए भा0दं0सं0 के आरोप को प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहे होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

विधि के मान्य सिद्धांतों के अनुरूप साक्ष्य का उचित रूप से विवेचन करते हुये उक्त आरोप में सभी अभियुक्तगण की दोषसिद्धी का जो निष्कर्ष निकाला है, वह उचित व विधि सम्मत है और उसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धी की पुष्टि की जाती है।

26. अब जहाँ तक विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दण्डादेश का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को भा.दं.सं. की धारा 498-ए के दोषसिद्ध अपराध में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलार्थी/फरियादी श्रीमती पायल की ओर से अपील प्रकरण क्रमांक 197/16 इस आधार पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास के स्थान पर 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। अतः कारावास की सजा में वृद्धि किये जाने का निवेदन किया गया है, लेकिन अंतिम तर्क के दौरान अपीलार्थी/फरियादी के विद्वान अधिवक्ता ने स्वेच्छया पूर्वक प्रकट किया है कि अपील के प्रक्रम पर न्यायालय के बाहर उभयपक्ष के मध्य स्वेच्छया पूर्वक तथा बिना किसी दबाव के राजीनामा हो जाने से अपीलार्थी/फरियादी अपनी उक्त अपील को स्वेच्छया पूर्वक आगे नहीं चलाना चाहती है।

27. दोनों अपील प्रकरणों के अवलोकन से भी पाया जाता है कि आदेश पत्रिका दिनांक 06.02.2018 अनुसार अपील के प्रक्रम पर उभयपक्ष के मध्य अर्थात् फरियादी/पीडित श्रीमती पायल तथा सभी अभियुक्तगण के मध्य न्यायालय से बाहर स्वेच्छया पूर्वक तथा बिना किसी दबाव के राजीनामा हो गया है और उनके मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहा है एवं उभयपक्ष के मध्य हुये राजीनामा अनुसार फरियादी/पीडित श्रीमती पायल ने अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह से भरण पोषण की एक मुश्त धनराशि 4,25,000/- रुपये प्राप्त कर लिये गये हैं। इस प्रकार उभयपक्ष के मध्य आपसी संबंध मधुर हो गये हैं और उन्होंने अपने पारिवारिक विवाद का आपसी स्तर पर न्यायालय से बाहर भली भांति सुलझा लिया है एवं अभियुक्तगण के विरुद्ध अभिलेख पर पूर्व दोषसिद्धी का अभाव होने से उनका यह प्रथम अपराध होना प्रकट है। अभिलेख के परिशीलन से

अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण का पूर्व आपराधिक इतिहास अथवा रिकॉर्ड होना भी दर्शित नहीं होता है एवं मामले में सभी अभियुक्तगण दिनांक 02.05.09 से अर्थात् विगत साढ़े आठ वर्ष से अधिक समय से विचारण का सामना कर चुके हैं एवं विचारणकाल के दौरान सभी अभियुक्तगण अथवा उनमें से किसी के द्वारा फरियादी पक्ष के साथ अपराध की पुनरावृत्ति किया जाना दर्शित नहीं होता है एवं फरियादी व सभी अभियुक्तगण आपस में परिवारजन होकर करीबी नातेदार हैं तथा अभियुक्तगण ने न्यायालय के समक्ष दोषसिद्ध अपराध में प्रायश्चित होना एवं भविष्य में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने बावत् संकल्प ले लिया जाना प्रकट किया है और संभवतः उभयपक्ष के मध्य हुआ राजीनामा इसी का परिणाम है।

28. सम्मानीय न्यायदृष्टांत शीजी उर्फ पप्पू व अन्य विरुद्ध राधिका व अन्य (2011) 10 एस0सी0सी0 705 में भी यह धारित किया जा चुका है कि धारा 320 दं0प्र0सं0 के तहत जो अपराध न्यायालय की अनुमति से या अनुमति के बिना राजीनामा योग्य नहीं हैं, वे राजीनामा किये जाने हेतु अनुमत नहीं किये जा सकते हैं, परंतु जहाँ कि पक्षकारों के मध्य विवाद का व्यवस्थापन हो चुका है वहाँ सारभूत दण्डादेश करते समय राजीनामा एक सुसंगत परिस्थिति के रूप में लिया जा सकेगा। इसी प्रकार सम्मानीय न्यायदृष्टांत राजेंद्र हरकचंद्र भण्डारी व अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व अन्य ए0आई0आर0 2011 एस0सी0 1821 में अपराध धारा 307 भा0दं0सं0 का राजीनामा योग्य नहीं होने के बावजूद उभयपक्ष के मध्य न्यायालय से बाहर हुये राजीनामा सहित अन्य परिस्थितियों के आलोक में कारावास की अवधि भुगते हुये कारावास के रूप में कम की गई है। उक्त संबंध में अपीलार्थीगण/अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत सम्मानीय न्यायदृष्टांत मदन गोरे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 1995 सीआर0एल0जे0 1419, सुरेंद्रनाथ मोहनथी व अन्य विरुद्ध ओडिसा राज्य 1993 (3) काईम 37 एस.सी. एवं गीता मेहरोत्रा व अन्य विरुद्ध उ0प्र0 राज्य व अन्य ए0आई0आर0 2013 एस0सी0 181 भी अवलोकनीय होकर वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों में अनुपालनीय है।

29. अतः उपरोक्तानुसार प्रतिपादित महत्वपूर्ण न्याय सिद्धांतों सहित मामले की समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये सभी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को दी गई जेल की सजा को स्थिर रखा जाना अथवा उसमें वृद्धि किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, बल्कि फरियादी/पीड़ित श्रीमती पायल को प्रतिकर राशि दिलाते हुये सभी अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक के कारावास सहित शिक्षाप्रद अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने में ही न्याय की मंशा पूरी हो जाना प्रकट होता है। तदनुसार अपीलार्थी/फरियादी श्रीमती पायल की ओर से कारावास की सजा में वृद्धि बावत प्रस्तुत अपील प्रकरण क्रमांक 197/16 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से निरस्त करते हुये एवं अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अपील प्रकरण क्रमांक 263/15 को केवल दण्डादेश के बिंदु पर स्वीकार योग्य पाये जाने से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध दोषसिद्ध अपराध धारा 498-ए भा0दं0सं0 में दिये गये उपरोक्तानुसार दंडादेश को अपास्त किया जाकर उसके स्थान पर सभी अभियुक्तगण में से प्रत्येक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास से तथा 5000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि के भुगतान में व्यतिक्रम होने की दशा में संबंधित अभियुक्त को 01 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे तथा अर्थदण्ड की वसूली हेतु विधिवत एम.जे.सी. कायम की जावे।

30. सभी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अतः उनके जमानत प्रपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

31. प्रकरण में निराकरण योग्य कोई जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

32. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व से जमा राशि 2000-2000/- रुपये कुल 10,000/- रुपये इस न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड राशि 5000-5000/- रुपये कुल 25,000/- रुपये में समायोजित की जावे।

33. संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि 25000/- रुपये जमा होने पर बतौर प्रतिकर पुनरीक्षण अवधि पश्चात् पुनरीक्षण नहीं होने की दशा में फरियादी/पीड़ित श्रीमती पायल पुत्री गोविंद सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी गोहदी

दरवाजा वार्ड नंबर 13 गोहद, थाना गोहद जिला भिण्ड को प्रदान की जावे।
पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत होने पर माननीय पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश का
पालन किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड